

24/2/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप.। हस्तगत  
अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मूल वादपत्र के साथ  
इस्तुत अस्थाई निवेधाना प्रा. पत्र में पारित आदेश के विरुद्ध  
प्रस्तुत की गई। उभयपक्ष अधिवक्ता गण द्वारा अपील संख्या  
1224/2022 में अन्तगत बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय  
में जेरकार मूल काद पत्र निर्मित हो चुका है। तथा उक्त  
निर्णय क डिप्टी के विरुद्ध अपील भी प्रस्तुत हो चुकी है।

अंतः अधीनस्थ न्यायालय में जेरकार मूल वादपत्र  
निर्मित हो जाने से हस्तगत अपील अधीन क अपेक्षणीय  
हो चुकी है। सिध्दा उक्त अपील इली स्तर पर खारिज  
की जाती है। पत्रावली केवल शुमार होकर बाद आवश्यक  
आपकी गामिल दफ्तर हो ~~राजस्व अपील प्राधिकारी~~